

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : ५५४० / वाद सं०- सी-1149 / एस-03 / 2023

दिनांक: १५/०२/ 2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री अजय रतन कुकरेती, श्री जितेन्द्र जोशी व श्री अशोक कुकशाल निवासी बट्टी इन्क्लेव माजरी माफी रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर लगभग 10-12 बीघा भूमि पर लीची के बगीचे में डिमार्केशन करते हुए अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है व मौके पर स्वीकृत तलपट मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की धारा के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद सं० सी-1149/एस-03/2023 योजित किया गया। उक्त अवैध निर्माण को दिनांक 25-2-25 को ध्वस्त किया जाना है।

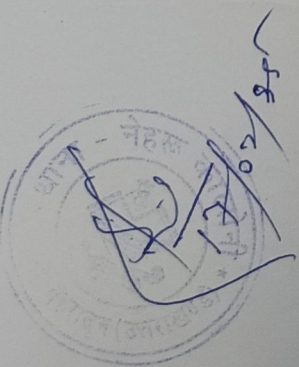
अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्त की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अधिशायी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

- प्रतिलिपि:-1. नायब तहसीलदार, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने की कृपा करें।
2. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता, (इलेक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक जे०सी०बी० एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहा० अभि०/अव०अभि० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. विपक्षी श्री अजय रतन कुकरेती, श्री जितेन्द्र जोशी व श्री अशोक कुकशाल निवासी बट्टी इन्क्लेव माजरी माफी रोड, देहरादून उपरोक्त लिथि को आप स्वयं स्थल पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना सम्मस्त सामान हटा ले। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्रांक 3801 दिनांक 02-01-2025 आदेश की शर्त यथावत रहेगी।
- 5- थाना अध्यक्ष नेहरो को लौनी।

अधिशायी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



सुमित राव

